

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ(24)Doc/Gen/98/-00042

दिनांक :

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(7599)/सूप्रौ/संस्था/2019/राजकाज रैफ नम्बर 18997710 दिनांकित 26.11.2025 द्वारा गठित समिति में आंशिक संशोधन किया जाता है।

उक्त आदेश में वर्णित समिति के क्रमांक 4 पर अंकित श्रीमती वैशाली पाठक, उप विधि परामर्शी को 'सदस्य' के स्थान पर 'सदस्य सचिव' नामित किया जाता है।

अन्य सभी बिन्दु पूर्णवत रहेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अखिलेश मित्तल)

तकनीकी निदेशक एवं सयुक्त सचिव

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-**

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
2. ग्रुप हेड/प्रभारी अधिकारी Co-ordination Cell, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
3. श्रीमती नीलू जैन, तकनीकी निदेशक, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
4. श्रीमती विनिता श्रीवास्तव, सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
5. श्री राजेश असावा, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
6. श्रीमती वैशाली पाठक, उप विधि परामर्शी, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, कनोडिया कॉलेज, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सेल, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी

**Signature valid**

आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 दूरभाष-2921322, 222014  
वेबसाइट:-<http://www.doit.rajasthan.gov.in>, E-Mail:-[doit@rajasthan.gov.in](mailto:doit@rajasthan.gov.in)

RajKaj Ref No.:  
21102235

eSign 1.0



Digitally signed by Akhlesh Mittal  
Designation: Joint Secretary  
Date: 2026.03.17 17:14:17 IST  
Reason: Approved

क्रमांक:- प2(7599)/सूप्रौ/संस्था/2019

जयपुर, दिनांक

**कार्यालय आदेश**

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प9(2)/(59)/कार्मिक/क-3/97/पार्ट-1 दिनांक 23.07.2001 के क्रम में The **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013** के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन की घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय आदेश क्रमांक प2(1645)/सूप्रौ/संस्था/2013 राजकाज रैफ नम्बर 13064207 दिनांक 24.01.2025 द्वारा समिति का गठन किया गया था। उक्त विभागीय आदेश दिनांक 24.01.2025 के अतिक्रमण में निम्न समिति का गठित की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम व पद	समिति
1.	श्रीमती नीलू जैन, तकनीकी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती विनिता श्रीवास्तव, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	सदस्य
3.	श्री राजेश असावा, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	सदस्य
4.	श्रीमती वैशाली पाठक, उप विधि परामर्शी	सदस्य
5.	प्रधानाचार्य, कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	विशिष्ट सदस्य

उपर्युक्त समिति विभाग में यौन उत्पीडन की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/क्षतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**(रामेश्वर लाल सोलंकी)**

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 ग्रुप हेड/प्रभारी अधिकारी Co-ordination Cell, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 श्रीमती नीलू जैन, तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 श्रीमती विनिता श्रीवास्तव, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 5 श्री राजेश असावा, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 6 श्रीमती वैशाली पाठक, उप विधि परामर्शी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 7 प्रधानाचार्य, कानोडिया कॉलेज, जयपुर।
- 8 प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी  
RAMESHWAR LAL  
SOLANKI <rsolanki@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by  
Rameshwar Lal Solanki  
Designation: Joint Secretary  
Date: 26-11-2025 06:13:50

आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर-302005, दूरभाष-(0141)297132, फोन-18997710, ईमेल:- oic.estt@rajasthan.gov.in